


हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम खसरा सं. 74 खसरा नं. — में आवेदन पत्र अनुसार सुधय के स्थान पर मंगवान सुधय शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प ग्राम पंचायत खसरा सं. 74 दिनांक 19/09/20 को मजमेआम में सुनाया गया। शिवर तम्म



19/9/20  
 उपजम्मेदार  
 फागी